सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-05.04.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स०वि०स० श्री अजय कुमार, स०वि०स० श्री विजय कुमार, स०वि०स० श्री दामोदर रावत, स०वि०स०	"पटना जिलान्तर्गत बिहटा प्रखंड स्थित मेगा औद्योगिक पार्क सहित पूरे राज्य में राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा योजनाओं / परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण किया गया है । सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि का पुराने दर पर भू-स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 24 (1)(a) में निरूपित प्रावधान के आलोक में पुराने भू-अर्जन अधिनियम-1894 यथा संशोधित 1984 के तहत प्रारंभ किये गये भू-अर्जन के मामलों में मुआवजा का भुगतान के संबंध में राजस्व विभाग के पत्रांक-283/रा०,दिनांक-26.02.2014 द्वारा कतिपय दिशा-निर्देश संसूचित किये जाने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि का भू-स्वामियों को पुराने दर पर ही भुगतान किया जा रहा है । अत: राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा योजनाओं / परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमियों का यथा संशोधित दर पर भू-स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	राजस्व एवं भूमि सुधार

2. डॉ० रामानुज प्रसाद, स०वि०स०	''मधुबनी जिला के फुलपरास नगर पंचायत के किसनीपट्टी ग्राम में अवस्थित इंटर कॉलेज एवं प्राथमिक विद्यालय, जिस गैरमजरूआ आम भूखण्ड पर अवस्थित है, वहां अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास ने अपने पत्रांक-378/गो०, दिनांक-17.10.2022 के द्वारा अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण करने हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी को प्रतिवेदित किया है । इससे न सिर्फ इंटर कॉलेज में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आने-जाने का रास्ता अवरूद्ध होगा बल्कि एक अराजकपूर्ण वातावरण निर्माण हो जाने के पश्चात् शैक्षणिक वातावरण भी भयंकर रूप से प्रदूषित होगा । स्थानीय स्तर पर प्रशासन के इस निर्णय के विरोध में करीब 221 हस्ताक्षरियों के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी को दिनांक-18.11.2022 को एक ज्ञापन दिया गया था, जिस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है जबकि उसमें 07 भूखंड उपलब्ध रहने का विकल्प भी सुझाया गया है । मुख्यमंत्री सचिवालय के तृतादेश 50, 154, दिनांक-20.11.92 के द्वारा उक्त वर्णित भूखण्ड की उक्त महाविद्यालय के नाम समाहर्त्ता, मधुबनी को बंदोवस्त करने का आदेश भी दिया गया था, इसके बावजूद यहां अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है । अत: इस संबंध में मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ ।''	परिहवन / राजस्व एवं भूमि सुधार

पवन कुमार पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/2023- 850 / वि०स०, पटना, दिनांक- 3 अप्रील, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3.4.23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/2023- 850 / वि०स०, पटना, दिनांक- 3 अप्रील, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3.4.23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/2023- 850 / वि०स०, पटना, दिनांक- 3 अप्रील, 2023 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा परिवहन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3.4.23

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/2023- 850 / वि०स०, पटना, दिनांक- 3 अप्रील, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

3.4.23

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

3/4/23